✓

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–7
संख्या–1618/नौ–7–2023–52(ज)/2022
लखनऊ दिनांक 31, मार्च,2023

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास अनुभाग–06, उ.प्र. शासन के अधिसूचना संख्या–41/2022/2596/77–6–2022–01 (एम)/2022, दिनांक 14.10.2022 के द्वारा उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 प्रख्यापित की गई है। उक्त नीति के प्रस्तर–3.1(10) में उल्लिखित है राज्य सरकार द्वारा नगर विकास विभाग के नेतृत्व में आवास एवं शहरी नियोजन ऊर्जा विभाग (विद्युत वितरण निगमों–डिस्कॉम्स) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक (चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर–सीटीसीपी) परिवहन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग एवं अन्य प्रासंगिक सरकारी संस्थाओं व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के चार्जिंग इंफास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक विकास पर कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी। यह कार्यकारी समूह मॉडल उप–नियमों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा राज्य में चार्जिंग/स्वैचिंग सुविधाओं के विकास के कार्यान्वयन के साथ–साथ रणनीति को विनियमित करेगा।

2. अतएव सम्यक विचारोंपरान्त उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के उक्त प्रस्तर–3.1(10) में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में निम्नानुसार कार्यकारी समूह का गठन किये जाने का निर्णय एतद्द्वारा लिया गया हैः–

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव,परिवहन विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
5.	निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य
6.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.।	सदस्य
8.	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।	सदस्य
9.	निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य–सचिव

उक्त कार्यकारी समूह द्वारा उ.प्र. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 के प्रस्तर–3.1(10) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमख सचिव/सचिव ऊर्जा विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/परिवहन विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू.पी.।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
31.03.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Brijesh. UT-GO-23